न्यायालय सं0–9

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

निर्देश याचिका सं0–1759 / 2024

उप निरीक्षक (सी.पी) विपिन कुमार पीएनओ नं0–982540639, आयु लगभग 46 वर्ष, पुत्र श्री बलेशवर, निवासी–Baharmand Nagar, जिला–बुलंदशहर, वर्तमान में तैनाती पुलिस स्टेशन–शेरकॉट, जिला–बिजनौर।

–––याची

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य व्दारा अपर मुख्य सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश शासन सिविल सविचालय, लखनऊ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद।
3– पुलिस अधीक्षक, जनपद–बिजनौर।

–––विपक्षीगण

निर्णय

द्वाराः माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)

याची व्दारा यह याचिका राज्य लोक सेवा अधिकरण, अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 13.10.2023 (संलग्नक सं0–1) जिसके व्दारा याची को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं आदेश दिनॉकित 13.04.2024 (संलग्नक सं0–2) जिसके व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची व्दारा दाखिल अपील निरस्त की गयी है, को खण्डित किये जाने हेतु योजित की गयी है।

2– संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची वर्ष 2023 में जब पुलिस स्टेशन हल्दौर, जिला–बिजनौर में कस्बा चौकी प्रभारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर में उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे, तब उसे पुलिस अधीक्षक, बिजनौर द्वारा दिनांक 06.08.2023 को एक कारण बताओ नोटिस (संलग्नक सं0–3) निर्गत की गयी जिसमें यह कथन किया गया कि ''जब यह वर्ष–2023 में उप निरीक्षक ना0 पु0 थाना हल्दौर, जनपद बिजनौर में कस्बा चौकी प्रभारी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर के पद पर नियुक्त थे, तब थाना हल्दौर जनपद बिजनौर में नियुक्त आरक्षी 1285 ना0पु0 अर्जुन बालियान के दिनांक 12.07.2023 व पूर्व में मुख्य आरक्षी 835 ना0पु0 आदेश कुमार द्वारा आव0दक श्री राजवीर सिंह पुत्र स्व0 श्याम सिंह निवासी 118 सिविल लाइन्स नजीबाबाद, जनपद बिनौर की रेलवे फाटक हल्दौर स्थित देशी शराब की दुकान पर अकारण जाने व अनावश्यक रूप से परेशान किया गया। इनको उक्त कृत्य की जानकारी होने के उपरान्त भी उक्त पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी और न ही उक्त संबंध में उच्चाधिकारीगण को अवगत कराया गया तथा दिनांक 12.07.2023 को आवेदक द्वारा शिकायत करने के

उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा मुकदमा उपरोक्त का हवाला देते हुए प्रकरण से इतिश्री की गयी। इनका उक्त कृत्य इनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता को प्रदेर्शित करता है, जिसकी परिनिन्दा की जाती है।'' याची व्दारा उक्त कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण दिनॉकित 18.08.2023 (संलग्नक सं0–5) दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके व्दारा वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह कथन किया गया कि आवेदक राजवीर सिंह पुत्र स्व0 श्याम सिंह के साथ जो घटना घटित हुई, वह दिनांक 12.07.2023 की रात्रि में घटित हुई, जिसकी शिकायत उसके द्वारा दिनांक 14.07.2023 को की गयी। इससे स्पष्ट है, कि दिनांक 12.07.2023 की घटना से लेकर दिनांक 14.07.2023 तक उसके द्वारा थाने अथवा प्रार्थी से कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया और न ही किसी अन्य माध्यम से घटना की कोई भी सूचना प्रार्थी को दी गयी है। इससे स्पष्ट है, कि प्रार्थी दिनांक 12. 07.2023 से दिनांक 14.07.2023 तक प्रार्थी के संज्ञान में न कोई घटना लायी गयी और न आयी। अतः प्रार्थी पूर्णरूप से दिनांक 14.07.2023 तक अनभिज्ञ था। ऐसी दशा में जहां तक इस आरोप का प्रश्न कि जानकारी होने के उपरांत भी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी। इस संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी के जानकारी में आने से पूर्व भी उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आ गया था और उच्चाधिकारियों के स्तर से कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही थी। ऐसीा दशा में प्रार्थी के द्वारा कोई भी आख्या प्रेषित किया जाने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। परन्तु याची के अनुसार उसके व्दारा दिये गये स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये दण्डाधिकारी व्दारा आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 13.10..2023 उसके विरूद्ध पारित कर दिया गया। याची व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील विपक्षी सं0–2 के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे आदेश दिनॉकित 13.04.2024 व्दारा निरस्त कर दिये जाने के उपरान्त याची व्दारा यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3– विपक्षीगण व्दारा लिखित विवेचन दाखिल किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद–बिजनौर से प्रारम्भिक जॉच करायी गयी जिन्होंने जॉचोपरान्त अपनी जॉच आख्या दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त प्रारम्भिक जॉच आख्या में जॉच अधिकारी व्दारा याची को दोषी माना गया जिस पर विचारोपरान्त दण्डाधिकारी व्दारा याची को बचाव का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनॉकित 06.08.2023 निर्गत की गयी जिसका स्पष्टीकरण याची व्दारा दिनॉक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारोपरान्त दण्डाधिकारी व्दारा उसके विरूद्ध आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 13.10. 2023 पारित कर दिया गया जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है, जिसके पारित किये जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई

प्रक्रियात्मक त्रुटि हुयी है। विपक्षीगण व्दारा यह भी कथन किया गया कि याची व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर सक्षम अधिकारी व्दारा विचार करने के उपरान्त अपील निरस्तीकरण आदेश दिनॉकित 13.04.2024 पारित किया गया है। अतः याची प्रश्नगत आदेशों के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है तथा याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4— याची व्दारा प्रत्योत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें उसके व्दारा विपक्षीगण व्दारा दाखिल लिखित—कथन का विरोध करते हुए याचिका के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5— मेरे व्दारा याची के विव्दान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विव्दान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6— याचिका में मूल अनुरोध का बिन्दु यह है कि प्रस्तुत प्रकरण में एक विभागीय जांच पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा की गयी है तथा पुलिस अधीक्षक ने अपनी जांच आख्या में निकाले गये निष्कर्ष में याची उप निरीक्षक विपिन कुमार को कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता हेतु दोषी पाया है तथा श्री श्यामवीर सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी का अधीनस्थों पर नियन्त्रण न होने का दोषी पाया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि आरक्षी अर्जुन बालियान द्वारा रात्रि में घुसकर शिकायतकर्ता की देशी दुकान की शराब में तलाशी ली गयी, जो आरक्षी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था तथा मुख्य आरक्षी आदेश कुमार अनावश्यक रूप से शराब की दुकान पर गए तो अपना मो0नं0 दुकान के रजिस्टर पर अंकित किया। इस विवेचना के आधार पर जांच अधिकारी ने आरक्षी अर्जुन बालियान तथा मुख्य आरक्षी आदेश कुमार को मुख्य रूप से दोषी माना है।

7— इस विवरण से स्पष्ट है कि उक्त दोनों आरक्षी पर उप निरीक्षक तथा थाना अध्यक्ष का शिथिल प्रशासनिक नियंत्रण रहा है। जांच आख्या में इसी तथ्य का उल्लेख किया गया है। जांच अधिकारी ने श्री विपिन कुमार (याची) तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष हल्दौर श्री श्यामवीर सिंह को समान रूप से दोषी पाया है, जिसके आधार पर दण्डादेश पारित किया गया है।

8— प्रश्नगत प्रकरण में याची ने याचिका के साथ उप निरीक्षक श्यामवीर सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष के संदर्भ में पारित अपीलीय आदेश को प्रस्तुत किया है, जिसमें श्री श्यामवीर सिंह को दिए गए दण्ड को अपीलीय अधिकारी व्दारा निरस्त किया गया तथा जांच अधिकारी की जांच आख्या को ही त्रुटिपूर्ण माना है। अपीलीय अधिकारी ने

जांचकर्ता अधिकारी के संदर्भ में यह उल्लेख किया है कि ''जांच अधिकारी द्वारा भी प्रकारण में समस्त आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास नहीं किया है। अतः इस आधार श्यामवीर सिंह के दण्ड को समाप्त कर दिया गया है।

9— ऐसी स्थिति में एक ही जांच आख्या जिसमें याची तथा श्यामवीर सिंह को समान रूप से शिथिल पर्यवेक्षण का दोषी पाया गया तथा उन्हें पनिनिन्दा का दण्ड प्रदान किया गया है। उक्त जांच आख्या एवं दण्डादेश को थाना अध्यक्ष के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण पाते हुए निरस्त कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में साम्या के सिद्धांतों के आधार पर याची के प्रकरण में भी निर्णय लिया जाना वैधानिक रूप से समीचीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में मेरे मत् में याचिका स्वीकार होने योग्य है तथा पारित दण्डादेश निरस्त होने योग्य है।

10— उपरोक्त कारणों के आधार पर अपीलीय आदेश दिनांकित 13.04.2024 भी मेरे विचार से वैधानिक रूप से स्थिर रहने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनॉकित 13.10.2023 एवं एतद्पश्चात् पारित अपीलीय आदेश दिनॉकित 13.04.2024 स्थिर रहने योग्य नहीं है। तद्नुसार याची की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निर्देश याचिका स्वीकार की जाती है। आलोच्य दण्डादेश दिनॉकित 13.10.2023 (संलग्नक सं0—1) तथा अपीलीय आदेश दिनॉकित 13.04.2024 (संलग्नक सं0—2) निरस्त किये जाते हैं। याची वे समस्त पारिणामिक सेवा लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो उक्त आदेशों व्दारा रोके गये हों। विपक्षीगण इस निर्णय का अनुपालन सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/—
(योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित व उद्घोषित किया गया।

ह0/—
(योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा0)

दिनॉकः 19 अगस्त, 2026
मीनाक्षी वर्मा, आ0 आ0